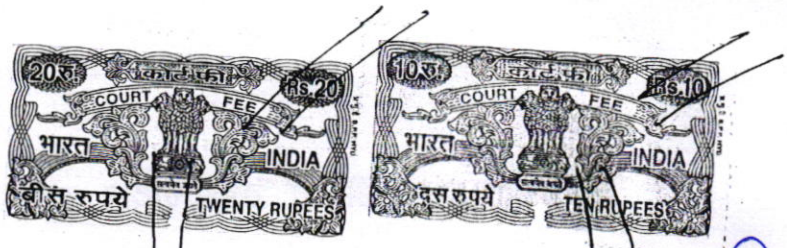

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

श्रीमान ~~अपर कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन~~

प्रकरण क्रमांक ~~/2017~~/18 निगरानी–2624/2018/उज्जैन/भू.रा

जगदीश पिता मिश्रीलालजी प्रजापती,
निवासी–278, ग्रेटर रतन एवेन्यू एम.आर.–5 मक्सी
रोड, उज्जैन ..... आवेदक

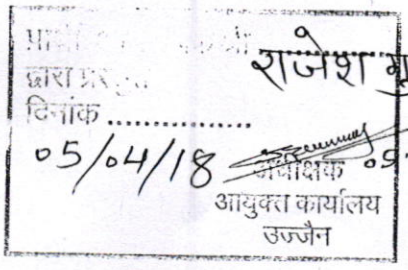

विरूद्ध

1. लक्ष्मीनारायण उर्फ छोटेलाल प्रजापती, निवासी–
हरिफाटक रिंग रोड, शिवालय के पास, उज्जैन।
2. गिरधारीलाल पिता हीरालालजी प्रजापति, निवासी–
नीलगंगा चौराहा, 21, प्रजापती कालोनी उज्जैन ।
3. महेश प्रजापती पिता हीरालालजी प्रजापति, निवासी–
नीलगंगा चौराहा, 21, प्रजापती कालोनी उज्जैन ।
4. छोगालाल पिता श्री हीरालालजी, निवासी–1/24,
नीलगंगा चौराहा प्रजापती कालोनी उज्जैन।

.....मूल आवेदकगण

5. मिश्रीलाल पिता केवलराम प्रजापति, निवासी–24,
नीलगंगा कालोनी उज्जैन ।
6. बद्रीलाल पिता केवलराम प्रजापति मृत द्वारा वारिसान
अ. श्रीमती सुशीलाबाई पति स्व.बद्रीलाल प्रजापति
ब. रविन्द्र प्रजापति पिता स्व.बद्रीलाल प्रजापति
स. गोपाल प्रजापति पिता स्व.बद्रीलाल प्रजापति
द. शैलेन्द्र प्रजापति पिता स्व.बद्रीलाल प्रजापति
निवासीगण–24, नीलगंगा चौराहा, उज्जैन म.प्र.।
7. किशोर प्रजापति पिता केवलराम प्रजापति, निवासी–
24, नीलगंगा चौराहा, उज्जैन म.प्र. .....

....मूल अनावेदकगण

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 6/अ–6/2017–18 पुराना नंबर 158 /अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/02624/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-6-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेशिका दिनांक 20-2-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को पक्षकार बनाया गया । तदोपरान्त अनावेदक क्रमांक 5 द्वारा आवेदक जगदीश के आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया कि हिन्दु विधि के तहत जगदीश के पिता प्रकरण में पक्षकार है, इसलिए आवेदक जगदीश को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है । अत: तहसील न्यायालय द्वारा पुन:श्च आदेश पारित कर आवेदक को पक्षकार बनाये जाने के आदेश को निरस्त कर, आवेदक की ओर से प्रस्तुत पक्षकार बनाये जाने के आवेदन पत्र पर प्रकरण अनावेदक पक्ष के जवाब हेतु नियत किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा अभी आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पर सुनवाई किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है और वे प्रकरण में किस प्रकार आवश्यक पक्षकार हैं, प्रमाणित कर सकते हैं । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	